सुलखान सिंह
आई0पी0एस0

परिपत्र संख्याः डीजी– 42 /2017

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलकमार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकः दिसम्बर 02, 2017

विषय : गुमशुदा/अपहृत अवयस्क बच्चों एवं महिलाओं से सम्बन्धित प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत कर सम्यक/समयबद्ध विवेचना करते हुए उनकी बरामदगी सुनिश्चित कराये जाने हेतु।

प्रिय महोदय,

प्रदेश में गुमशुदा/अपहृत अवयस्क बालकों, बालिकाओं एवं युवतियों के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना पर सहानुभूतिपूर्वक तत्परता से विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु इस मुख्यालय स्तर से समय–समय पर विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। मुख्यालय स्तर से निर्गत परिपत्रों में ऐसे प्रकरणों में अपनायी जाने वाली मानक कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण अंकित किया गया है। इनमें से कुछ परिपत्रों का उल्लेख पार्श्वांकित है।

1. डीजी परिपत्र सं0: 31/2012 दिनांक 20.04. 2012
2. डीजी परिपत्र सं0: 24/2012 दि0 05.07. 2012
3. डीजी–सात–एस–3(229)/2010 पार्ट–2,दि0–05.12.2013
4. परिपत्र सं0: 11/2013 दि0 09.04.2013
5. परिपत्र सं0: 12/2013 दि0 11.04.2013
6. परिपत्र सं0: 06/2013 दि0 02.02.2013
7. डीजी–सात–एस–3(23)/ 2012 दि0 13.01.2013
8. परिपत्र सं0: 08/2016 दि0 16.02.2016
9. डीजी परिपत्र सं0: 52/2016 दि0 24.08.2016

अपहृत/ गुमशुदा अवयस्क बच्चों एवं युवतियों के मामलों में प्रदेश स्तर पर चलाये गये आपरेशन मुस्कान के अनुरूप कतिपय जनपदों द्वारा सराहनीय एवं उल्लेखनीय कार्य किया गया है, परन्तु कतिपय जनपदों की पुलिस द्वारा ऐसे मामलों में ऐसी संवेदनहीनता के साथ कार्य किया जाता है, जिसके कारण पीड़ित के माता पिता को मा0 न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है और कभी–कभी मा0 न्यायालय के समक्ष पुलिस को अत्यन्त असहज एवं दुरूह स्थिति का सामना करना पड़ता है।

ऐसा ही एक प्रकरण जनपद इलाहाबाद के थाना धूमनगंज एवं खुल्दाबाद से सम्बन्धित, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष क्रि0मि0रिट पिटीशन सं0 24693/2017 वशीम फातिमा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के रूप में हाल ही में संज्ञान में आया है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रकट होता है कि सम्बन्धित थानों की पुलिस कार्यप्रणाली से मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अत्यन्त अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है तथा यह भी आभास होता है कि मुख्यालय स्तर से निर्गत दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः आप लोगों से पुनः अपेक्षा की जाती है कि आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि:–

1. गुमशुदा/अपहृत अवयस्क बच्चों एवं युवतियों के मामलों में सहानुभूतिपूर्वक पूर्णतत्परता से कार्यवाही करते हुए उनकी बरामदगी का हर संभव उपाय/प्रयास करेंगे।
2. ऐसे मामलों की चर्चा अपराध गोष्ठी में की जायेगी और प्रत्येक घटना की समीक्षा सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा करके सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक के माध्यम से इस मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।

3. इस मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत परिपत्र उ0प्र0 पुलिस की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, उन्हें डाउनलोड कर उनका सम्यक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये और ऐसे मामलों की चर्चा अपराध गोष्ठी में की जाये और विवेचना एवं बरामदगी में गुणात्मक सुधार लाया जाये।

4. ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, जिससे पुलिस बल की छवि धूमिल हो।

5. परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक कम से कम 03 बार प्रतिवर्ष गुमशुदा/अपहृत बच्चों के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर की गयी कार्यवाही की गहन समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के प्रयास का आंकलन कर उनके वार्षिक गोपनीय मंतव्य में इस कार्य में प्रदर्शित की गयी अभिरूचि के सम्बन्ध में टिप्पणी करेंगे।

6. जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे मामलों की गहन समीक्षा अवश्य करेंगे।

21/11/17

(सुलखान सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0, लखनऊ।

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4. पुलिस महानिरीक्षक एस0टी0एफ0/ए0टी0एस0, उ0प्र0 लखनऊ।